

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) जल भवन/मुखर्क के निर्माण की स्वीकृति स्वामिक सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्वामिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विधायक कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विधायक किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक विधायक को सूचित करेंगा ।
- (iv) स्वीकृत भवन के विपरीत निर्माण कार्य करने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजन

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 831 दिनांक 24/12/2020

पार्श्व खिड़की नं. 516 श्री रमलाल मोहरी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000

धारा 194 (2) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12132 जमा

जारी रसीद संख्या 2062/6433, 6438

दिनांक 24/12/2020 को जमा करा दी है ।

रमलाल मोहरी

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

प्री +1  
आवासीय

Recd  
[Signature]

R.S. Khandelwal Adv.  
9413959511